न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 03/2016/(2016/00156) जिला टोंक

रामेश्वर पुत्र बिरदाराम जाति जाट निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 राज0 आयुद्ध अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश क्रमांक
न्याय/शअपत्र/निरस्त/2015/10436 दिनांक 4–11–2015

———

उपस्थितः 1– श्री रामसुख चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक : 27–06–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम जारी एक बंदूक शस्त्र संख्या 91/80 टोपीदार दो नाली जिसका अनुज्ञा पत्र संख्या 224/1997 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के अनुज्ञा पत्र संख्या 3324/एम.एल./2012 जारी किया हुआ है जो कि दिनांक 31–12–2015 तक जिला कलक्टर जयपुर से नवीनीकरण किया हुआ था किन्तु अपीलार्थी जयपुर से टोंक जिले में निवास करने के कारण अपीलार्थी को उक्त शस्त्र की आवश्यकता होने के कारण उसने उक्त अनुज्ञा पत्र को जिला टोंक में स्थानान्तरण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला कलक्टर टोंक ने जांच किये बिना एकपक्षीय आदेश द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश दिनांक 04–11–2015 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 04–11–2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी ने दिनांक 1–12–2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 01–12–2015 को प्राप्त हो गई किन्तु अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का गरीब काश्तकार होने के कारण कनून की जानकारी नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलार्थी दिनांक 11–1–2016 को अपने घर जाकर फीस आदि की व्यवस्था कर अजमेर अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील मियाद बाहर होने से जानकारी होने पर यह अपील तैयार करवाई जाकर बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी की धारा–5 मियाद अधिनियम की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के नाम एक बन्दूक शस्त्र संख्या 91/80 टोपीदार दो नाली बंदूक है जिसका अनुज्ञा पत्र संख्या 224/1997 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के अनुज्ञा पत्र संख्या 3324/एम.एल/2012 जारी किया हुआ है जो दिनांक 31–12–2015 तक जयपुर जिला कलक्टर द्वारा नवीनीकरण किया हुआ था किन्तु अपीलार्थी जयपुर से टोंक जिले में निवास करने के कारण अपीलार्थी को उक्त शस्त्र की आवश्यकता रहने

के कारण उसने उक्त अनुज्ञा पत्र को जिला टोंक में स्थानान्तरण करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला कलक्टर टोंक ने बिना किसी प्रकार की जांच किये एकतरफा में ही अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलार्थी एक शांतिप्रिय व्यक्ति है तथा उसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। जिला कलक्टर, टोंक के समक्ष अपीलार्थी ने अनुज्ञा पत्र को स्थानान्तरण करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अनुज्ञा पत्र स्थानान्तरण किया जाना अथवा नहीं किये जाने बाबत ही आदेश पारित करना चाहिए था किन्तु उनके द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र को ही निरस्त कर क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी शांतिप्रिय गरीब काश्तकार व्यक्ति है तथा अपने खेत की रखवाली के लिए उसे शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है इस कारण उसने उक्त शस्त्र का अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया तथा उसने कभी भी उक्त शस्त्र का दुरूप्योग नहीं किया और ना ही किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर ही अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलर्थी की अपील स्वीकार की जकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–11–2015 निरस्त किये जाने हु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट दिनांक 14–9–2015 अनुसार आवेदक के विरूद्ध थाना हाजा पर मुकदमा नम्बर 85/13 धारा 374 भादस व 3, 7, 11, 14 बालश्रम अधिनियम 1986 में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 65/13 दिनांक 31–5–2013 को किता कर चालान न्यायालय में पेश किया जो विचाराधीन है। जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक ने आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। उक्त आधार पर जिला कलक्टर, टोंक ने अपीलार्थी के उक्त अनुज्ञा पत्र को जिले में दर्ज नहीं करते हुए तत्काल प्रभाव से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 224/97 एवंअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(दक्षिण) जयपुर के अनुज्ञा पत्र संख्या 3324/ए.म.एल/2012 को निरस्त कर तत्काल पुलिस थाना पीपलू जिला टोंक में जमा कराने के आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 04–11–2015 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर मुकदमा नम्बर 85/13 धारा 374 भादस व 3, 7, 11, 14 बालश्रम अधिनियम 1986 में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 65/13 दिनांक 31–5–2013 को किता कर चालान

न्यायालय में पेश किया जो विचाराधीन है तथा आगामी अवधि के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा के आधार पर ही जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा उक्त अनुज्ञा पत्र को जिल टोंक में दर्ज नहीं कर तत्काल संबंधित थाना पीपलू में जमा कराने के आदेश पारित किये है। अपीलार्थी को किसी विशेष व्यक्ति से जान माल का खतरा है या किसी व्यक्ति के द्वारा अपीलार्थी को धमकी दी जा रही हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं बहस के दौरान भी अपीलार्थी अभिभाषक ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि अपीलार्थी को खेती के दौरान किसी हिंसक जानवर ने हमला किया हो न ही किसी थाने में इस प्रकार का कोई मुकदमा ही दर्ज कराया गया है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–11–2015 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) टोंक का आदेश क्रमांक न्याय/शअपत्र/निरस्त/2015/10436 दिनांक 04–11–2015 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर